SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: I fail to understand the reply of the hon. Minister in part (b) : He says in part (b) : "No." And again he says that the Government has taken a decision to export raw jute to other countries. My question in part (b) was whether the Government have any proposal to increase the export of raw jute and also whether this figure will remain static or it will increase or decrease. My first question was : What is the present quantum of raw jute exported and whether the Government have any idea of increasing the export of raw jute or not ? I would like to know where we stand,

SHRI L. N. MISHRA : We stand at our own place. As I stated, we have no proposal to export raw jute. This year we are going to have a bad year. Our total requirement is 70 lakh bales and we do not expect more than 53 lakh bales from our indigenous production. As a matter of fact, we are on the look out for importing jute from other countries. There is no question of exporting jute this year. Last year it was better and it was for the first time that we did it in order to help the cultivators.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE : Sir, our jute production in the world market facing keen competition. Bangla Desh with whom we have got friendly relations is also coming in a big way in the jute trade. In view of this, I would like to know whether the Government has made any assessment in the outside market as to what would be the future of this jute industry and export position in future ; if so, what is the result of that study.

SHRI L. N. MISHRA : As I stated earlier, so far as Bangla Desh is concerned, we want to have—I would not say mutual arrangement—an understanding with Bangla Desh in the matter of jute. If the three countries, India, Bangla Desh and Thailand, can combine together; we will be in a better position to bargain in the world market. Serious threat to jute production from synthetics is there and it was for this reason that we had sent recently a delegation under the leadership of the Rajasthan Secretary to the USA. They have come back and have submitted an executive report, a good report on the subject and they have analysed the causes of the decline that might have to be faced and the steps that could be taken to boost the export. That report is under examination in the Ministry of Finance and after we receive the Report we will take some action. So far as threat is concerned the real thing is the use of jute is no longer to be confined to sacking only ; different uses of jute have to be made and then alone we will be able to survive in the world market and face the threat from the synthetics.

SHRI KALI MUKHERJEE : In view of the fact that the policy of the Government with regard to export and import of jute has been completely in chaos during the last few years, may I know what is the policy of the Government ? On the one hand we are impor ting jute at a very high price and we are also exporting jute at the same time to various countries at a very low price exploiting the cultivators of the country and paying them at a low rate, not even the minimum subsistence rate. »

SHRI L. N. MISHRA : I am afraid the hon. Member is not very well informed on the subject. It is not that we are importing jute and also exporting jute. The point is we need some quality jute. For the last three or four years we used to import good quality jute from what was at that time East Pakistan. As I have said earlier we never export raw jute. Some negligible quantity of jute used *to* be exported to the USSR. Today the position is that we are not going to export raw jute. On the contrary we have to import raw jute to keep our industry going.

*425. *The questioner (Shri Kalyan Roy) was absent. For answer,* vide *col.* 45 infra.]

दवाइयों की बिक्री

*426. श्री प्रेम मनोहर :
श्री पीताम्बर दास :
श्री ओउम् प्रकाश त्यागी :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
डा० भाई महावीर : †
श्री मान सिंह वर्मा :
श्री ना० कृ० शेजवलकर :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय उन औषधियों को 'आवश्यक' कोटि में रख दिया है

f The question was actually asked on the floor of the House bv Dr. Bhai Mahavir.

जिनका अधिकतर उपयोग आम जनता द्वारा किया जाता है ; यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनके बाजार-मूल्य क्या हैं ;

(ख) क्या मध्यवर्गीय तथा गरीब लोगों के लाभ के लिये इन आवश्यक औषधियों को सस्ती दरों पर बेचने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

SALE OP MEDICINES

*426. SHRI PREM MANOHAR : SHRI PITAMBER DAS : SHRI O. P. TYAGI : SHRI J. P. YADAV : DR. BHAI MAHAVIR : SHRI MAN SINGH VARMA : SHRI N. K. SHEJWALKAR :

Will the Minister of PETROLUEM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether Government have categories some medicines which are mostly used by the general public as 'Essential' ; if so, the names thereof and their market prices ;

(b) whether there is any scheme to sell these essential medicines at cheap rates for the benefit of middle and poor class people ; and

(c) if so, the details thereof ?]

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI DALBIR SINGH) : (a) A number of drugs have been declared as essential under the Drugs (Prices Control) Order 1970 and a statement showing their names and the selling prices fixed by Government is laid on the Table of the House.

(b) and (c) The prices of all drugs and the formulations based thereon are controlled under the aforesaid order the main objective of which is to see that all drugs and medicines are available at reasonable prices. No separate scheme is under ennsideration of Government for supply of medicines at cheap rates.

STATEMENT

Name of the essential drug	Maximum selling price
1. Vitamin A Palmitate & Acetate	Rs. 452.54 per 1000 mu
2. Vitamin B12	Rs. 100 per gram
3. Vitamin C	Rs. 72.70 per kg.
4. Sulphadiazine	Rs. 58.89 per kg. (Indigenous material) Rs. 110.00 per kg. (imported material)
5. (i) Penicillin Potassium G	Rs. 0.40 per mega unit
(ii) Sodium penicillin G	Rs. 0.50 per mega unit
(iii) Procaine penicillin	Rs. 0.50 per mega unit
(iv) Potassium penicillin V	Rs. 0.80 per mega unit
6. Streptomycin	Rs. 296 per kg.
7. Chloramphenicol	Rs. 455.31 per kg.
8. Tetracycline	Rs. 850 per kg.
9. Amodiaquin	Rs. 216.86 per kg.
10. Chloroquin Phosphate	Rs. 259.53 per kg.

tf] English translation.

[ ] Hindi translation.

Name of the essential drug	Maximum selling price
11. Iodo Chlorohydroxy quinoline	Rs. 80.40 per kg. (for production from basic stage) and Rs. 75.94 per kg. (for others)
12. Chlorpropamide	Rs. 107.72 per kg.
13. Tolbutamide	Rs. 91.71 per kg.
14. Insulin	Rs. 4900 per mu
15. Insonicotinic acid hydrazide	Rs. 130.32 per kg. if manufactured through indigenous picolines and Rs. 112 per kg. (if manufactured through imported cyanopyridines)
16. Sodium salt of Para Amino Salicylic acid	Rs. 41.00 per kg.
17. Para Amino Salicylic acid	Rs. 50.26 per kg.
18. Prednisolene	Rs. 14,266,21 per kg.

†[**पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत कई औषधियों को 'आवश्यक' घोषित किया गया है और एक विवरण-पत्र, जिसमें उनके नाम तथा सरकार द्वारा निर्धारित किए गए विक्रय मूल्यों का उल्लेख है, सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) और (ग) सभी औषधियों तथा उन पर आधारित फार्मूलेशन्स के मूल्य उक्त आदेश, जिसका उद्देश्य है कि सभी औषध तथा दवाइयां उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो सकें, के अन्तर्गत नियंत्रित किए जाते हैं । दवाइयों को सस्ते दामों पर सप्लाई करने के लिए सरकार किसी अलग योजना पर विचार नहीं कर रही है ।

विवरण

	आवश्यक दवाई का नाम	अधिकतम विक्रय मूल्य
1.	विटामिन ए पलमीटेट एंड एसीटेट	रु० 452.54 प्रति 1000 एम यू
2.	विटामिन बी 12	100.00 रुपये प्रति ग्राम
3.	विटामिन सी	72.70 रुपये प्रति कि०ग्रा०
4.	सल्फाडायजीन	58.89 रुपये प्रति कि०ग्रा० (देशीय माल) (110.00 रुपये प्रति किलोग्राम) (आयातित माल)
5.	(i) पेनिसिलीन पोटाशियम 'जी'	0.40 रुपये प्रति मेगा यूनिट
	(ii) सोडियम पेनिसिलीन 'जी'	0.50 रुपये प्रति मेगा यूनिट
	(iii) प्रोकेन पेनिसिलीन	0.50 रुपये प्रति मेगा यूनिट
	(iv) पोटाशियम पेनिसिलीन	0.80 रुपये प्रति मेगा यूनिट

	आवश्यक दवाई का नाम	अधिकतम विक्रय मूल्य
6.	स्ट्रैप्टोमाइसीन	296 रुपये प्रति कि० ग्रा०
7.	क्लोरमफेनिकोल	455.31 प्रति कि० ग्रा०
8.	टैट्रासाइक्लीन	850 रुपये प्रति कि० ग्रा०
9.	एमोडीएक्वीन	216.86 रुपये प्रति कि० ग्रा०
10.	क्लोरोक्विन फास्फेट	259.53 रुपये प्रति कि० ग्रा०
11.	आइडो क्लोरोहाइड्रोक्सी क्विनोलिन	80.40 रुपये प्रति कि० ग्रा० (प्रारम्भिक अवस्था से उत्पादन के लिए) तथा 75.94 रुपये प्रति कि० ग्रा० (अन्य के लिए)
12.	क्लोरप्रोपामाइड	107.72 रुपये प्रति कि० ग्रा०
13.	बोलबूटामाइड	91.71 रुपये प्रति कि० ग्रा०
14.	इन्सुलिन	4900.00 रुपये प्रति एम यू
15.	इन्सोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रेजाइड	130.32 रुपये प्रति कि० ग्रा० यदि देशीय पिकोलाइन्ज से निर्मित हो और 112 रुपये प्रति कि० ग्रा० (यदि आयातित साइनोपाइरोडाइन्ज से निर्मित हो)
16.	सोडियम साल्ट आफ पारा एमिनो सेलिसाइलिक एसिड	41.00 रुपये प्रति कि० ग्रा०
17.	पारा एमिनो सेलिसाइलिक एसिड	50.26 रुपये प्रति कि० ग्रा०
18.	प्रेडनि सोलीन	14,266,21.00 रुपये प्रति कि०ग्रा०]

डा० भाई महावीर : श्रीमन्, गवर्नमेंट की स्कीम का उद्देश्य यह है कि दवाईयां लोगों को ठीक कीमत पर मिलें और सवाल यह पूछा गया था कि क्या मध्यम वर्ग और छोटे वर्ग के लोगों को दवाई देने के लिए सरकार के सामने कोई योजना है ? इस पर मिनिस्टर साहब कहते हैं कि कोई योजना नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी इस बात की जांच की है कि बाजार में आपने जिन दवाईयों की कीमत मुकर्रर की है, उन कीमतों पर सामान्य जनता और छोटे उपभोक्ताओं को दवाई मिलती है या नहीं ? अगर नहीं मिलती है, तो इसका क्या कारण है ?

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य ने योजना के सम्बन्ध में कहा है और जैसा मैंने अपने जवाब में बतलाया कि इस तरह की अभी कोई योजना नहीं है। क्योंकि यह चीज पैसे के ऊपर निर्भर करती है कि कितना पैसा इस कार्य के लिए मिलता है। जहां तक इस स्कीम का सवाल है, इसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी।

डा० भाई महावीर : किस तरह का पैसा ?

श्री दलबीर सिंह : सबसिडाइज करने के लिए, जो अभी तक गवर्नमेंट की स्कीम के अन्दर नहीं है। यह जो प्राइस कंट्रोल आर्डर है, वह इसलिए किया गया है कि लोगों को

उचित कीमत पर दवाइयां मिल सकें और इस तरह से कंट्रोल किया जा सके कि दवाइयों की कीमत बढ़ने न पायें और सभी लोगों को आसानी के साथ और उचित दाम पर दवाइयां मिल सकें। इसके साथ ही साथ सरकार इस बात का भी ख्याल करती है कि हर आदमी को उचित दाम पर दवाई मिलती रहे और इसलिए स्टेट्स में ड्रग कंट्रोलर है, जिनकी जिम्मेदारी इस बात को देखने की है कि सारी दवाइयां ठीक दाम पर सब लोगों को मिलती हैं या नहीं ?

डा० भाई महावीर : इस जवाब से श्रीमन्, आप कुछ समझ पायें हों तो आपकी विशेष योग्यता होगी।

श्री सभापति : आप नहीं समझ पाये हैं तो दुबारा प्रश्न कर लीजिये।

डा० भाई महावीर : उन्होंने बताया कि हम कोई योजना नहीं रख सकते क्योंकि उसके लिए पैसे की बड़ी जरूरत है। जब आप किसी दवाई का कंट्रोल करते हैं तो उस दवाई को आप अपने किसी माध्यम से ऐसे वर्गों के लोगों को जो कि छोटे हैं दिलवाने की यदि व्यवस्था करें तो पैसे की कमी के कारण आप उसको कर नहीं पाते, इसका स्पष्टीकरण पूरा नहीं हुआ।

श्री सभापति : उन्होंने इसका जवाब दे दिया कि इसके लिए सब्सीडी की जरूरत होगी और हमारे पास इस वक्त इतना रुपया नहीं है।

डा० भाई महावीर : यह सब्सीडी की बात है तो इसका मतलब यह है कि सरकार जानती है कि यह मैक्सिमम सीलिंग प्राइस जो हैं यह खाली कागज के ऊपर हैं और व्यवहार में इस कीमत पर दवाई किसी को मिलती नहीं। अगर आप सब्सीडाइज नहीं कर सकते तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि जो दूकानदार हैं, छोटे केमिस्ट या बड़े केमिस्ट, वे आपका यह फरमान मिलने के बाद अपनी जेब से सब्सीडाइज करके आम आदमियों को इन कीमतों पर दवा बेचेंगे। दूसरी बात मैंने यह पूछी थी कि कोई आप चेकिंग करते हैं या नहीं कि दवायें लोगों को मिलती हैं या नहीं और इसके बारे में आपकी कोई जांच व्यवस्था है या नहीं।

श्री दलबीर सिंह : जहां तक दवाओं के मिलने का सवाल है, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये दवायें ठीक कीमतों पर मिलती हैं या नहीं इसके लिए जो हमारे ड्रग्स के इंचार्ज हैं स्टेट्स के अन्दर उनकी भी ड्यूटी है और यह जो आर्डर है इनके इंफोर्समेंट के लिए सरकार पूरी तरह से ध्यान रखती है। जहां तक सब्सीडी का सवाल है जो माननीय सदस्य बार बार कहते हैं, हमारी कोई ऐसी योजना नहीं है।

डा० भाई महावीर : आपका मतलब मैं यह समझूं कि यह सब्सीडाइज...

श्री सभापति : आपने पूछा कि कोई ऐसी योजना है और उन्होंने कह दिया कि नहीं है।

डा० भाई महावीर : आपने कहा कि सब्सीडाइज करने के लिए पैसा चाहिये। लेकिन अगर ये सब्सीडाइज्ड प्राइसेज हैं तो क्या आप समझते हैं कि छोटे या बड़े दूकानदार इन कीमतों पर आम आदमियों को दवायें देते होंगे। सरकार यह कैसे उम्मीद करती है कि वे अपनी जेब से सब्सीडाइज करें। यह स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री दलबीर सिंह : ये सब्सीडाइज्ड नहीं हैं।

डा० भाई महाबीर : तो फिर पैसा किस लिए चाहिये।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मान सिंह वर्मा : माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है वह असन्तोषजनक है। स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि क्या उनको यह ज्ञान है कि जो प्राइसेज उन्होंने दी हैं उसके हिसाब से बाजार से कंज्युमर्स को मेडिसिन्स मिलती हैं या नहीं। यदि उनको ज्ञान है कि नहीं मिलती हैं तो फिर उसका समाधान उन्होंने क्या सोचा है। उन्होंने केवल यह कह दिया कि हर स्टेट में हमने ड्रग

कंट्रोलर्स रखे हैं। क्या ड्रग कंट्रोलर्स की तरफ से भी इस प्रकार की उनको शिकायतें नहीं मिली हैं कि इन कीमतों पर साधारण व्यक्ति को मेडिसिन्स नहीं मिलती हैं। दूसरी बात यह है कि क्या माननीय मन्त्री जी को यह भी ज्ञान है कि जो मेडिसिन्स आप अपनी रिकगनाइज्ड डिस्पेंसरीज को देते हैं वहां से भी वे मेडिसिन्स निकल करके बाजार में ज्यादा कीमतों पर बिकती हैं। यदि उनको ऐसा ज्ञान है तो क्या उन्होंने कोई निराकरण इसका सोचा है।

श्री दलबीर सिंह : जहां तक यह सवाल है कि कोई मेडिसिन ज्यादा कीमत पर बेची जाती है, सरकार की नोटिस में जब भी कोई बात आती है तो सरकार उसकी जांच करती है और उसका इलाज भी किया जाता है। अगर माननीय सदस्य की नोटिस में कोई बात है तो हमें दे दें, हम उसकी जांच कर लेंगे। जहां तक उन्होंने कहा कि क्या इसका ख्याल रखा जाता है स्टेट्स के अन्दर, मैंने बार बार कहा है कि पूरी तरह से इसके ऊपर सरकार विजिलेंट है और सरकार की यह नीति है कि किसी तरह से भी जो ड्रग प्राइसेस कंट्रोल आर्डर है उसका वायोलेशन न हो और उसके प्राविजंस पूरी तरह से इंफोर्स हों। इस तरह का पूरा खयाल करके स्टेट्स के अन्दर भी और यहां भी इस नीति को पूरी तरह से चलाया जा रहा है।

श्री ना० कृ० शेजवलकर : अध्यक्ष महोदय, मुझे दिखता ऐसा है कि कुछ कंफ्युजन है। इसलिए वह स्पष्ट हो जाना चाहिये। माननीय मन्त्री जी ने यह बताया कि वे सब्सी-डाइज करते हैं और यह भी बताया कि ये जो 18 दवायें हैं इनमें से किसी को वे सब्सीडाइज नहीं करते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वस्तुस्थिति क्या है। ये जो प्राइसेस फिक्स्ड हुई हैं 18 मेडिसिन्स की, उनमें से किसी को सब्सीडाइज किया जा रहा है या नहीं। दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आज डिमांड इन दवाओं की कितनी है और सप्लाई की स्थिति क्या है, इसके बारे में उन्होंने कुछ विचार किया है या नहीं। साथ ही वे यह भी बतायें कि ये जो 18 मेडिसिन्स बनती हैं उनमें से कितनी पब्लिक सेक्टर अंडर-टेकिंग्स में बनती हैं। और उनके ठीक कीमत पर मिलने का कोई प्रबन्ध किया जा रहा है या नहीं।

श्री दलबीर सिंह : ठीक कीमत पर मिलने का प्रबन्ध सभी दवाओं का किया जा रहा है। जहां तक उनका यह सवाल है कि कौन कौन सी मेडिसिन्स कहां बनती हैं ये फीगर्स हमारे पास अलाहृदा अलाहृदा नहीं हैं कि कौन सी मेडिसिन्स पब्लिक सेक्टर अंडर-टेकिंग्स में बन न रही हैं और कौन कहां बन रही हैं यह शायद इससे अराइज भी नहीं होता है।

श्री ना० कृ० शेजवलकर : मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। आपने यह बताया कि इसके लिए हमको रुपये की जरूरत पड़ेगी, योजना बनाने के लिए और आप अगर कह रहे हैं कि सब्सीडी हम किस तरह दें, पालिसी के तौर पर सब्सीडी हो या न हो, तो मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में स्थिति क्या है ?

श्री दलबीर सिंह : मेरे उत्तर को माननीय सदस्य ने ठीक से नहीं समझा। मैंने पहले के जवाब में यह बतलाया था, लास्ट पार्ट के जवाब में कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है और इस समय कई कारणों से हम इस योजना को नहीं चला सकते, पैसे का भी सवाल है और भी कई चीजें उसमें आयेंगी और इसलिए हम इस चीज को नहीं चला सकते और उसी के लिए आप बार बार इस सवाल को उठा रहे हैं।

DR. K. NAGAPPA ALVA : May I know whether the Petroleum and Chemicals Ministry is having frequent consultations with the Health Ministry to categorise essential drugs, to have greater production of these drugs and to fix reasonably cheap prices ?

SHRI DALBIR SINGH : Yes, Sir. This is being done.

DR. R. K. CHAKRABARTI : Part (a)

of the question reads : "whether Government have categorised some medicines which are mostly used by the general public as essential; if so, the names thereof and their market prices ;". In reply the statement shows the prices per kg or per/mega/unit and so on. How are we going to understand what would be the cost of 100 tablets of vitamin G or 100 tablets of vitamin B12 and so on ? Then, if you look as the last item, prednisolene, you will find that the price is shown as Rs. 14,266, 21 per kg. How are we going to understand it and how much will it cost the public per tablet ?

SHRI DALBIR SINGH : I am giving the figures as they are given to me by the Department.

DR. R. K. CHAKRABARTI : This does not answer the question in part (a).

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: He gives the answer without understanding it.

DR. R. K. CHAKRABARTI : The question asks the market price for the general public, but the statement gives the meximum selling price per kg. It is the price for the manufacturer and the price is given for bulk supplies.

MR. CHAIRMAN ; Do you wish to add any ting ?

SHRI DALBIR SINGH : No, Sir.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON : According to the statement, the Government has fixed the prices for 18 essential drugs. May I know from the Government why some of the most common pain-killing drugs have been excluded ? For example, analgesics like salicylic acid, etc. have not been included which are used by millions of people every day. Secondly...

MR. CHAIRMAN : Look at the time. Please be brief.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON : The price quoted for tetracycline is Rs. 850 per kg. Whereas Tetracycline is available in Europe at Rs. 170 per kg., why is it that the price here has been fixed so high ?

SHRI DALBIR SINGH : What was the first part of your question ?

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON : Why are analgesics not included in the essential drugs ?

SHRI DALBIR SINGH : Sir, this list is not the final list. A list of 18 essential drugs, is not the final list of drugs. The Bureau of Industrial Costs and Prices have made an investigation. They have appointed an Expert Committee. The Committee is going into this question. They have taken up a number of other drugs, perhaps 24 or 25, which are being also considered as essential drugs. This examination is under consideration

DR. BHAI MAHAVIR : He should take the House into confidence and let us know the international prices of these drugs and the domestic prices.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : It will help the House if the Minister does some home work.

*427. *[The questioner (Shri K. L. H. Prasad) was absent. For answer,* vide *col.* 44 *infra.}*

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

PYRITES PHOSPHATES AND CHEMICALS UNIT AT AMJHORE

♦416. SHRI M. K. MOHTA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government owned Pyrites Phosphates and Chemicals Unit at Amjhore has been suffering losses for the past few years ;

(b) if so, the comparative losses suffered by the Unit during the last three years and the cumulative loss suffered at the end of 1971-72 ; and

(c) the reasons for such losses and the remedial measures taken or proposed to be taken by Government to minimise the losses ?

THE MINISTER OF LAW AND JUS-TICE AND PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI H. R. GOKHALE) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

The Pyrites Phosphates and Chemicals Ltd. commenced production in 1968-69 and has been sustaining losses since then. The losses suffered by the company year-wise, and cumulative in the last three years are as follows :